



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. सूरज पालीवाल

Prof. Suraj Paliwal

कुलानुशासक

Proctor

पत्रांक : कुला. जावक/ 185

दिनांक: 03/02/2016

कार्यालयादेश

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा विश्वविद्यालय के नियमानुसार नहीं दी जा सकती है। अतः सत्र 2014-15 में पंजीकृत एम.फिल. के वे विद्यार्थी जिनकी मौखिकी संपन्न हो चुकी है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे 10 फरवरी 2016 तक छात्रावास खाली कर दें। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें।

(प्रो. सूरज पालीवाल)

प्रतिनिधि-

1. कुलपति महोदय को संज्ञानार्थ
2. कुलसचिव महोदय
3. समस्त छात्रावास अधीक्षक इस आशय के साथ कि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें
4. प्रभारी लीला (अपलोड करने हेतु)
5. कार्यालय प्रति

गांधी हिल्स, पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442 005 (महाराष्ट्र)

फोन नं.- +91-7152-232974, फैक्स नं.- +91-7152-230903. मो.- +91-9421101128

ई-मेल : surajpaliwal@yahoo.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org